ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840 (कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-13/2024- 320 /वि०स० ।

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक-25 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक-29 नवम्बर, 2024 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । त्रयोदश सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्त्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं । इसमें प्रश्न एवं लोक महत्व की सूचनाओं के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन होगा, राजकीय विधेयक भी लिये जायेंगे तथा गैर सरकारी संकल्प की सूचना भी निपटाए जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, संसदीय प्रणाली लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह शक्ति के विकेन्द्रीकरण, जनता की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है । इसमें विधायकों की भूमिका एक सेतु की तरह होती है जो जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करती है । सदन में विचार-विमर्श का मुद्दा, लोकतंत्र की बुनियादी संरचना और उसके सुचारू संचालन में निहित है । यह महज एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है । यह समाज को न्याय, समानता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का आधार प्रदान करती है । ऐसे में सदन में विचार-विमर्श प्रभावी और समावेशी बनाना यह हम सभी प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य है । हमलोगों ने एक मजबूत संसदीय प्रणाली विकसित की है । भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित है, यह संतुलन स्थापित हुआ है हमारे संविधान से । मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल ही संविधान दिवस है । आप अवगत होंगे कि 26 नवम्बर, 1949 को देश ने अपने संविधान को अपनाया था । हमारा संविधान न केवल एक दस्तावेज है बल्कि हमारे देश की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक आदर्शो का प्रतीक भी है । एक तरफ यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है तो दूसरी तरफ हमें अपने कर्त्तव्यों का बोध भी कराता है । हमें संविधान के मूलभूत आदर्शो को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सतत् प्रयासरत रहने की आवश्यकता है ।

माननीय सदस्यगण, मैंने यह महसूस किया है कि सदन में वाद-विवाद का स्तर कभी-कभी व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में सिमट जाती है इससे बचने की जरूरत है । कुछ हद तक तो इसे प्रक्रिया, नियमों के बजाय आत्मसंयम से भी नियंत्रित किया जा सकता है । आप इसका ख्याल रखेंगे तो सदन में वाद-विवाद का स्तर भी बढ़ेगा और इससे आमजन के अधिक से अधिक हितों का हल साधा जा सकेगा । आप सबों से अनरोध है कि सत्र में सदन के समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र संचालन में आप सबों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा ।

अध्यादेश

वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा ''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-203, रामगढ़ से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह; निर्वाचन क्षेत्र संख्या-227, इमामगंज (अनु०जा०) से निर्वाचित माननीय सदस्या श्रीमती दीपा कुमारी; निर्वाचन क्षेत्र संख्या-232, बेलागंज से निर्वाचित माननीय सदस्या श्रीमती मनोरमा देवी एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या-196, तरारी से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री विशाल प्रशांत द्वारा शपथ ग्रहण किया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 25 नवम्बर, 2024 को माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024	05.08.2024
2.	बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024	05.08.2024
3.	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	05.08.2024
4.	बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024	05.08.2024
5.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	05.08.2024
6.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024	05.08.2024
7.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	06.08.2024

वित्तीय कार्य

दिनांक-25 नवम्बर, 2024 को वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा दिनांक-28 नवम्बर, 2024 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये, तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2024 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार सरकारी सेवक (कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा) नियमावली, 2022 एवं बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 एवं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

3. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अधिसूचित विशेषज्ञ संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023; अभियंत्रण संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023; वैज्ञानिक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023 एवं प्रयोगशाला सहायक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के क्रमश: वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 एवं 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

5. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8 (3) के तहत् बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

6. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-152(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का वर्ष 2016-22 का "लोक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गयी ।

8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का वर्ष 2016-22 का "लोक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के प्राप्य हो ।"

9. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वित्तीय वर्ष क्रमश: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवदेनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

10. सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवदेन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

11. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-450, दिनांक-12.09.2024 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

12. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मुल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-358, दिनांक-08.08.2024 एवं एस०ओ०-452, दिनांक- 03.10.2024 एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

13. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-245, 246, 247, दिनांक-15.07.2024; एस०ओ०-445, 446, 447, 448, दिनांक-04.09.2024; एस०ओ०-449, दिनांक-06.09.2024; एस०ओ०-451, दिनांक-12.09.2024; एस०ओ०-455, 456, 457, 458, 459, दिनांक-09.10.2024; एस०ओ०-460, दिनांक-30.10.2024 एवं एस०ओ०-483, दिनांक-11.11.2024 एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

14. योजना एवं विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 (अधिसूचना संख्या-6106, दिनांक-25.10.2024) की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

15. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष क्रमशः 2019-2020, 2020-2021 एवं 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

16. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2021; बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2023; बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 एवं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

17. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

18. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024
2. बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024
3. बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024
4. बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
5. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2024

याचिका

इस सत्र में कुल 112 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 100 स्वीकृत हुए तथा 12 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 154 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 151 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 03 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 964 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 809 प्रश्न स्वीकृत हुये । स्वीकृत 809 प्रश्नों में कुल 29 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 28 के उत्तर प्राप्त हुए । 681 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 664 के उत्तर प्राप्त हुए, साथ ही 99 प्रश्न अतारांकित हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 103 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 85 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 10 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 103 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 98 सूचनाएँ स्वीकृत हुये । तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 89 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये; 03 सूचनाएँ सदन में स्वीकृत हुए; 02 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत हुये तथा 04 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय खालिद अनवर अंसारी, पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व सदस्य विधान मंडल
2. स्वर्गीय ब्रज किशोर सिंह, पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व सदस्य विधान मंडल
3. स्वर्गीय जय प्रकाश मिश्र, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय श्रीनारायण यादव, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय सधनु भगत, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय मुंशी चौधरी, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय छत्रुराम महतो, पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत माननीय राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

Khyati Singh 07/01/25

(ख्याति सिंह)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....
....
....